न्याय विभाग
Department of Justice
भारत सरकार
Government of India

सत्यमेव जयते

टेली-लॉ

कानूनी सलाह अब आपके गांव में

कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के माध्यम से उपलब्ध

वीडियो कान्फ्रेंस, टेलीफोन और चैट के द्वारा वकीलों से कानूनी सलाह प्राप्त करें

टेली-लॉ
कानूनी सलाह अब आपके गांव में

कानूनी सलाह निम्नलिखित मामलों में उपलब्ध है :

- दहेज, पारिवारिक विवाद, तलाक, घरेलू हिंसा से बचाव
- महिला, बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण
- महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न, यौन दुर्व्यवहार, छेड़–छाड़
- जमीन–जायदाद व संपत्ति का अधिकार
- महिला और पुरूष के लिए समान मज़दूरी
- मातृत्व लाभ, लिंग जाँच व भ्रूण हत्या रोकथाम
- बाल विवाह रोकथाम, बच्चों का यौन शोषण से संरक्षण, बाल मज़दूरी, बच्चों के शिक्षा के अधिकार
- F.I.R लिखवाने और जमानत मिलने की प्रक्रिया
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रति अत्याचार और पुनर्निवास

वकील के साथ वीडियो कॉंफ्रेंसिंग

निःशुल्क कानूनी सलाह पाने के हकदार हैं* :

- महिलाएं
- बच्चे (18 साल से कम उम्र के)
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्य (SC/ST)
- औद्योगिक कामगार/श्रमिक/मज़दूर
- प्राकृतिक आपदा से पीड़ित (जैसे – भूकंप, बाढ़, सूखा, इत्यादि)
- दिव्यांग व्यक्ति
- जातीय हिंसा एवं देह–व्यापार से पीडित
- बी.पी.एल. परिवार (Below Poverty Line)
- ऐसे व्यक्ति जो हिरासत में हैं

*विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 12 के अंतर्गत

अन्य श्रेणी के व्यक्तियों के लिए प्रति सलाह रु. 30 का शुल्क देय होगा

वकील से सम्पर्क करने की प्रक्रिया

अपनी सुविधा अनुसार तिथि एवं समय चुनें

टेली–लॉ पैरालिगल वॉलेंटियर TPLV की मदद से
टेली–लॉ मोबाइल एप्लीकेशन पर अपना मामला दर्ज करें।

अपने गांव के TPLV एवं CSC की
लिस्ट www.tele-law.in पर देखें

रजिस्टर्ड TPLV के लिए टेली–लॉ मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करने का माध्यम गूगल ऐप स्टोर

GET IT ON Google Play

टेली–लॉ सेवाओं की कार्य प्रक्रिया :

सहयोगी :

CSC e-Governance Services India Limited

Access to Justice for All

यदि कोई प्रश्न/शिकायत/सुझाव हो तो
help.telelaw@gmail.com पर लिखें।
अधिक जानकारी के लिए
देखें: **http://www.tele-law.in/**

Scan to access www.tele-law.in